आयोजनागत

संख्या–694 / XXIV(8) / 2006

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा
श्रीनगर गढवाल

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 10 अक्तूबर, 2006

विषयः–राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर के बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु पुनरीक्षित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 577 / नि.प्रा.शि. / प्लान–छ–1 / 2006–07 दिनांक 15 जून 2006 के क्रम में शासनादेश संख्याः 520 / xxiv(8) / 2005 दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं शासनादेश संख्या 361 / प्रा.शि. / 2003 दिनांक 15 दिसम्बर 2003 जिसके द्वारा राजकीय पालीटेक्निक श्रीनगर के बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु रूपये 70.81 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भवन के कतिपय कार्य कराने हेतु श्री राज्यपाल, महोदय राजकीय पालीटेक्निक संस्थान श्रीनगर के बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. ईकाई श्रीनगर गढवाल द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रूपये 111.49 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 97.47 लाख(रूपये सत्तानबे लाख सैतालीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष(पुनरीक्षित) रूपये 26.66 लाख (रूपये छब्बीस लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि अधोवर्णित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधिक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

संख्या–694(1)/XXIV(8)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तरांचल माजरा, देहरादून।
2 निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल देहरादून।
3 निजी सचिव, मा. तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तरांचल देहरादून।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
5 आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
6 निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
7 जिलाधिकारी, पौडी गढवाल, उत्तरांचल।
8 कोषाधिकारी, पौडी गढवाल, उत्तरांचल।
9 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
10 क्षेत्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
11 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर देहरादून।
12 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

9– जी.पी.डब्लू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा। प्रस्तुत आगणन का तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण आगणित धनराशि का विवरण संलग्न कर प्रेषित है।

11– उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या: 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक: 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–आयोजनागत–104–बहुशिल्प–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के(पुरूष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य, के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:– 1066/xxvi(3)/2006 दिनांक 05 अक्तूबर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

क्रमशः